Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **झालावाड़ में ग्राम विकास अधिकारी एवं उनका दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) 15 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *08 मार्च, मंगलवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर झालावाड़ इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये शैलेन्द्र शर्मा ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत मेठून, पं.स. अकलेरा, जिला झालावाड़ एवं उनके दलाल करणसिंह (प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से 15 हजार रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की झालावाड़ इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके एवं उसके परिजनों द्वारा करवाये गये मेड़बन्दी कार्य की आठ पत्रावलियों के बिल पास करने की एवज में प्रत्येक पत्रावली के 8 हजार रुपये के हिसाब से शैलेन्द्र शर्मा ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत मेठून, पं.स. अकलेरा, धर्मेन्द्र चौधरी कनिष्ठ तकनीकी सहायक पं. स. मनोहरथाना द्वारा उनके दलाल करणसिंह (प्राईवेट व्यक्ति) के माध्यम से 24 हजार रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की झालावाड़ इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री भवानी शंकर मीणा** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम के साथ ट्रेप कार्यवाही करते हुये दलाल करणसिंह पुत्र श्री दुर्गालाल भील निवासी बैरागढ़, थाना भालता, जिला झालावाड़ (प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से **15 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में आरोपी शैलेन्द्र शर्मा पुत्र स्व. श्री नन्दलाल निवासी सी–13, प्रगति नगर, शुभम रिसोर्ट के पास, बोरखेड़ा, कोटा हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत मेठून, पं.स. अकलेरा, जिला झालावाड़ को भी मौके से गिरफ्तार किया गया है तथा धर्मेन्द्र चौधरी कनिष्ठ तकनीकी सहायक पं.स. मनोहरथाना, जिला झालावाड़ की तलाश जारी है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।